



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/ INTEGRATED REGIONAL OFFICE, BHOPAL
Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,
BHOPAL - 462016 (M.P.)

TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

क्रमांक: 6-एमपीबी 095/2021-बीएचओ/

दिनांक : 25/08/2022

प्रति,

प्रधान सचिव (वन)
मध्यप्रदेश शासन,
वल्लभ भवन, भोपाल,
(मध्यप्रदेश)।

विषय: रतलाम जिले में रतलाम-बाजना-कुशलगढ मार्ग चौडीकरण/ उन्नयनीकरण हेतु 3.376 हे. आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग रतलाम उपयोग पर देने बाबत।

- संदर्भ: 1. कार्यालय का पत्र क्रमांक 6-एमपीबी 095/2021-बीएचओ दिनांक 15/03/2022.
2. नोडल अधिकारी, म.प्र. का पत्रांक एफ-5/1079/2021/10-11/1565 दिनांक 04/05/2022.
3. आर्.ई.सी. कार्यवृत्त क्र. 6-REC10/2014-BHO/Part-III/204 दिनांक 18/08/2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित आर्.ई.सी. बैठक दिनांक 11/08/2022 को आयोजित की गयी। बैठक में लिये गये निर्णय एवं कार्यवृत्त दिनांक 18/08/2022 (संदर्भित पत्र-3) अनुसार अन्य वांछित जानकारियाँ/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। अतः निम्नलिखित जानकारियाँ/ दस्तावेज प्रेषित करने का कष्ट करें :-

1. The State Govt. shall submit detailed action taken report of violation of Forest (Conservation) Act, 1980.
2. If the permission for use of forest land for non-forestry purposes has been granted by a State Authority than a report with full details of violation, authority responsible for violation etc. shall be submitted by the State Government on the recommendation of the Forest Department so as to initiate action under section 3A and/ or 3B of FC Act, as may be applicable, against the authority causing the violation of Forest (Conservation) Act, 1980.
3. After receipt of action taken report from State Govt. of Madhya Pradesh the IRO, Bhopal shall take action as per Forest (Conservation) Act, 1980.

उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ही प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(हरे राम कुमार)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि: प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, सतपुडा भवन, भोपाल।

Signed by Hare Ram Kumar

Date: 25-08-2022 15:42:18

Reason: Approved